मध्यप्रदेश शासन

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 31/12/2018

क्रमांक: एफ 5-21/2017/अ-तेहत्तर : राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को अधिकाधिक संख्या में रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017 की कंडिका '13 - रियायतें' की उपकंडिका क्रमांक 13.8 के पश्चात निम्नानुसार प्रावधान जोड़ा जाता है:-

"13.9 इस नीति अंतर्गत प्रावधानित रियायतों एवं अन्य सुविधाओं का लाभ लेने वाली इकाईयों को उनके द्वारा उपलब्ध कराये गये कुल रोजगार का 70 प्रतिशत रोजगार मध्यप्रदेश के स्थाई निवासियों को दिया जाना अनिवार्य होगा।"

2. मध्यप्रदेश एमएसएमई विकास नीति, 2017 में सूक्ष्म, लघु और मध्यम श्रेणी के विनिर्माण उद्यमों को सहायता हेतु किये गये प्रावधानों को क्रियान्वित करने की दृष्टि से राज्य शासन द्वारा लागू मध्यप्रदेश एमएसएमई प्रोत्साहन योजना, 2017 को इस आशय तक संशोधित माना जावेगा। उक्त प्रावधान इस आदेश के जारी होने की दिनांक के बाद उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाईयों पर प्रभावी होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

31/12/18
(पंकज अग्रवाल)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

पृ.क्रमांक एफ 5-21/2017/अ-तेहत्तर, भोपाल,दिनांक ३१ /12/2018

<u>प्रतिलिपि</u> :-

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ... (समस्त विभाग)।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव (समन्वय), मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
4. उद्योग आयुक्त, उद्योग संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल।
5. आयुक्त, जनसम्पर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
6. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश लघु उद्योग निगम, भोपाल।
7. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश ट्रेड एण्ड इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन कार्पोरेशन लि. भोपाल।
8. संभागायुक्त (राजस्व), समस्त, मध्यप्रदेश
9. कलेक्टर, समस्त, मध्यप्रदेश
10. नियंत्रक, शासन केन्द्रीय मुद्रणालय अरेरा हिल्स, भोपाल की ओर प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया उक्त परिपत्र को आगामी राजपत्र में प्रकाशित करवाकर उसकी 25 प्रतियॉ इस विभाग को भिजवाने का कष्ट करें।

उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन,
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग